



**JALAUN POLICE**

**“Operation Conviction”**

**दिनांक 07.07.2026**

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं कोतवाली कालपी पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय एडीजे पॉक्सो कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा 01 अभियुक्त को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास एवं 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त ताजमीर पुत्र अमीर खाँ निवासी मु० राजेपुरा गमचबूतरा कस्बा व थाना कालपी जनपद जालौन के विरुद्ध कोतवाली कालपी पर मु०अ०सं० 303/21 धारा 376 क, ख/511 भादवि व 18/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल व कोतवाली कालपी पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय एडीजे पॉक्सो कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त ताजमीर उपरोक्त को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास एवं 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



अभियोजन अधिकारी  
रणकेन्द्र भदौरिया



श्री परमहंस तिवारी  
प्रभारी मॉनिटरिंग सेल



हे०का० सुधीर सिंह कोर्ट  
मुहरिर



का० अनुज  
कोर्ट पैरोकार